

आहरण एवं वितरण अधिकारी,  
पंचायतीराज निदेशालय,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव, वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-10/2017/बी-2-906/दस-2017-2/2017 पंचायती राज अनु०-३ की पत्रावली सं०-100(15)/2015 टी०सी०, दिनांक 22 मई, 2017 के द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-61 में प्रदेश की जिला पंचायतों को दी जाने वाली सामान्य समनुदेशन की कुल धनराशि रु०-185250.00 लाख में से अवशेष लेखानुदान अवधि (अप्रैल, मई, जून, जुलाई एवं अगस्त) के लिये धनराशि रु० 7718750.00 लाख की 5 प्रतिशत (रु००५००३२० में उत्तिलिखित संस्तुति संख्या-55 के अनुसार ऑडिट अनुशासन हेतु) एवं 0.15 प्रतिशत धनराशि संस्तुति संख्या-23 के अनुसार प्रशिक्षण संस्थान हेतु को छोड़कर 94.85 प्रतिशत धनराशि रु०-73212.34 लाख को घटाने के पश्चात अब शासनादेश सं०-15/2017/बी-2-1259/दस-2017-2/2017 पंचायती राज अनु०-३ की पत्रावली सं०-100(15)/2015 टी०सी०, दिनांक 28 अगस्त, 2017 द्वारा अवशेष (94.85 प्रतिशत) धनराशि रु०-102497.28 लाख (दस अरब चौबीस करोड़ सत्तानवे लाख अट्ठाइस हजार मात्र) को सात बराबर किस्तों में (माह सितम्बर, 2017 से माह मार्च, 2018 तक) संस्तुति संख्या-57 के अनुसार की स्वीकृति जारी की गयी है। उक्त के क्रम में उपनिदेशक जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक उ०प्र० के पत्रांक 2096/३३-रोल/2017, दिनांक 14 सितम्बर, 2017 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सात बराबर किस्तों की फॉट के अनुसार माह दिसम्बर, 2017 हेतु नवीं किस्त की धनराशि रु०-1464246900.00 (लप्या एक अरब छियालीस करोड़ बयालीस लाख छियालीस हजार नीं सौ मात्र) जिला पंचायतों को दिये जाने की उक्त शासनादेश दिनांक 28 अगस्त, 2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(६) 1—जिला पंचायतों को स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा शासनादेशकों साथ संलग्न सूची में इंगित जिले के समुख कॉलम संख्या-३ में जिला पंचायतों के लिए आवंटित धनराशि के अनुसार सात बराबर किस्तों में (माह सितम्बर, 2017 से माह मार्च, 2018 तक) आहरित कर ई-पेमेन्ट के द्वारा सीधे जिला पंचायतों के खाते में जमा की जायेगी। लेखा एवं बजट अनुभाग के क्रमांक: आवटन आदेश सं०-१/शा/72/2017-1/119/2017 दिनांक 22 सितम्बर, 2017, १/शा/72/१/2017-1/119/2017 दिनांक 24 अक्टूबर 2017 तथा आदेश संख्या-१/शा०/72/२/2017-१/119/2017 दिनांक 15 नवम्बर, 2017 द्वारा छठवीं किस्त की धनराशि रु०-1464246900/-, सातवीं किस्त की धनराशि रु०-1464246900/- तथा आठवीं किस्त की धनराशि 1464246900/- कुल धनराशि रु०- 4392740700/- (रु० चार अरब उन्तालीस करोड़ सत्ताइस लाख चालीस हजार सात सौ मात्र) आवंटित की जा चुकी है। शासनादेशानुसार माह दिसम्बर 2017 हेतु नवीं किस्त की धनराशि रु० 1464246900/- (लप्या एक अरब छियालीस करोड़ बयालीस लाख छियालीस हजार नीं सौ मात्र) कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ से आहरित कर ई-पेमेन्ट के द्वारा सीधे जिला पंचायतों के खाते में जमा वीं जायेगी।

2-धनराशि के आहरण के एक सप्ताह के भीतर आहरण की सूचना वाउचर संख्या व दिनांक सहित प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन गठित जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक को प्रेषित की जायेगी जो अपने रत्न से धनराशि के आहरण की संहत सूचना पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायेगे।

3-आवेदित की जा रही धनराशि उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/रामायोजन अनुमत्य नहीं होगा।

4-पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, द्वारा आवेदित धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा की जायेगी तथा वे इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे।

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक '3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-0301-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन' के नाम डाला जायेगा। प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निवेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-92 पर अंकित है।

(विजय किरन आनन्द)

निदेशक,

पंचायती राज, उ०प्र०।

संख्या-1/शा०/72/4/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ० प्र० शासन।  
2. वित्त, संसाधन (केन्द्रीय वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।  
3. वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं दिशेष सचिव, वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2 उ०प्र० शासन को संदर्भित पत्र दिनांक 28.08.2017 के क्रम में।  
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।  
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० इलाहाबाद।  
6. निदेशक, पंचायतीराज (लेखा) इन्डिसा भवन दस्ता तल लखनऊ।  
7. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक्कदारी) प्रथम उ०प्र० इलाहाबाद।  
8. वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ०प्र०, इलाहाबाद-21100।  
9. उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, जापलिंग रोड, लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र दिनांक 14.09.2017 के क्रम में।  
10. उपनिदेशक (प०)/ नोडल अधिकारी राज्य वित्त आयोग, पंचायती राज निवेशालय, उत्तर प्रदेश।  
11. एस०पी०एम०य००, पंचायतीराज निवेशालय, उ०प्र० जो इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,

पंचायतीराज, उ०प्र०।